न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या — 139 / 2006

सालय / प्रार्थी
1. सरकार

बनाम

गैर सायलान / अप्रार्थीगण
शंकर लाल पुत्र श्री बभुत के कायम मुकाम—

1. श्री बंकट लाल के का.मु.
   - 1/1 कमला पत्नि बंकट लाल
   - 1/2 कालूराम पुत्र बंकट लाल जाति ब्राहम्ण निवासी धाकड़ी तहसील सोजत
   - 1/3 राजु पत्नि रामचन्द्र पुत्री बंकट लाल ब्राहम्ण निवासी खरीयानीव तहसील सोजत
   - 1/4 दुर्गा पत्नि गोपाल पुत्री बंकटलाल बाहम्ण निवासी कुरणी तहसील पाली
2. श्री कानाराम
3. हीरी पत्नि मानाराम
4. भंवरी पत्नि गोरधन लाल
5. रतनी पत्निी भंवरलाल
6. रूकमा पत्नि मदनलाल
7. मैना पत्नि भैरूलाल
8. पुष्पा पत्नि बाबुलाल

   समस्त निवासीगण धाकड़ी तहसील सोजत

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लवाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) के अन्तगर्त

–:आदेश:–

दिनांक 29/09/2021

1. इस सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी सोजत ने उनके निर्णय दिनांक 12.03.1976 में मृतक अप्रार्थी की भूमि 27.71 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग सीमा से कम मानते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 17.07.1981 एवं पत्रांक प 1 (1750)/राज/सी/78 जयपुर, दिनांक 21–07–1981 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सोजत के निर्णय दिनांक 12.3.1976 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अध्याय 3–ख के अनुसार नही मानते हुए और राज्यहित के प्रतिकुल मानते हुए, राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) मे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण अतिरिक्त जिलाधीश, पाली को प्रेषित कर उक्त आदेश दिनांक 17.7.1981 के प्रकाश मे कथित सीलिंग प्रकरण को खोलकर तथा अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देशो के साथ प्रकरण को रि–ओपन कर पुनः निर्णय करने हेतु भिजवाया गया।

2. प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा दर्ज कर मृतक अप्रार्थी के कायम मुकामों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। कायम मुकामों की ओर से अभिभाषक श्री धनपतमल ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा, लगभग 4 वर्ष तक जवाब का इन्तजार करने के बावजुद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्ततः अभिभाषक धनपतमल का देहान्त हो गया। तत्पश्चात कायम मुकामों को पुनः नोटिस जारी किया गया जो तामील होकर प्राप्त होने के बावजुद भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा बहस सुनकर एक तरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 03–06–1999 को निर्णय दिया गया कि अप्रार्थीगण के सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण 167 बीघा 12 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की जावें।

3. इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 03–06–1999 से व्यथित होकर अप्रार्थिगण द्वारा अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रकरण अपील/सिलिंग/94/1999/पाली दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 09–05–2005 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–06–1999 अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि वे दिवंगत शंकरलाल के सभी विधिक उत्तराधिकारियों को को नोटिस जारी करके व सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने पक्षकारों को सूचित किया कि वे न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, पाली में सुनवाई हेतु दिनांक 21–06–2005 को उपस्थित होवें। अपीलाण्ट्स को निर्देशित किया कि वे अतिरिक्त कलक्टर न्यायालय में शंकरलाल के

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

सभी वारिसों की सूची उनके सही पते सहित व शपथ पत्र के साथ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, पाली में उक्त दिनांक के 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें।

4. न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशानुसार प्रकरण को दर्ज किया गया। मृतक गैरसाय के कायम मुकामों को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल कायम मुकामों की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्रनारायण ओझा ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा जो न्यायहित मे लगभग 4 वर्ष का समय दिये जाने के बावजुद भी किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही बहस की। तत्पश्चात गैरसायल कायम मुकाम कानाराम की ओर से अभिभाषक श्री रमेश चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वकिल गैरसायल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया की कायम मुकाम बंकटलाल का देहान्त हो गया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा तहसीलदार सोजत से मृतक बंकटलाल के कायम मुकामों की सूचना चाही गई, तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक 2027 दिनांक 18.7.2011 द्वारा मृतक बंकटलाल के कायम मुकामों की सूची न्यायालय को पेश की गई। तत्पश्चात न्यायालय द्वार मृतक बंकटलाल के कायम मुकामों को नोटिस जारी किया गया। मृतक बंकटलाल के कायम मुकामो राजू, कालूराम, कमला की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्रसिंह चारण ने वकालतनामा पेश करने की यू.टी. ली किन्तु उनके द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया और न ही गैरसायल के कायम मुकामों द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया।

5. न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्देशों की पालना में गैरसायलान/अप्रार्थीगण द्वारा विविध वारिसान की सूची तो पेश कर दी गई लेकिन वारिसान की तरफ से लम्बा समय गुजरने के बावजुद भी किसी प्रकार का साक्ष्य/ सबूत न्यायालय में पेश नही किये गये। न्यायालय द्वारा लम्बे समय से अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी गैरसायलान व उनके अधिवक्ता द्वारा न ही न्यायालय में साक्ष्य अथवा सबूत पेश किये और न ही किसी प्रकार का जवाब पेश किया इससे जाहिर होता है कि इस प्रकरण में गैरसायलान को रूची नहीं है। अतः एक पक्षीय कार्यवाही की जाना उचित हैं।

6. अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

7. विद्धान राजकिय अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थीगण का परिवार में 01–04–1966 को पांच से ज्यादा सदस्य नहीं थे, जो की सीलिंग निर्धारण में 5 सदस्यों तक एक युनिट ही मानी जाती हैं। सीलिंग कानून के अनुरूप गैरसायल का परिवार एक इकाई तक 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही धारित कर सकता था। गैरसायलान के पास दिनांक 1.4.1966 को 52.21 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित थी। अतः सीलिंग कानून के अनुसार गैरसायलान के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि 22.21 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण योग्य होने से अधिग्रहण की जाने का निवेदन किया हैं।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

8. पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया।

9. प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 9.5.2005 में दिये गये निर्देशो की पालना में हमारे द्वारा गैरसायल मृतक शंकरलाल के सभी वारिसों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूची एवं शपथ पत्र के आधार पर पक्षकार बनाकर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये। नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने के उपरान्त भी लम्बे समय इन्तजार के बाद भी गैरसायलान व उनके अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध मे न तो किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया और न ही बहस की। इससे जाहिर होता है कि इस प्रकरण में गैरसायलान को रूची नहीं है तथा प्रकरण को निष्पारित नही कराने चाहते। अतः प्रकरण लम्बे समय से न्यायालय में विचाराधिन होने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाना न्यायसंगत हैं।

10. हमने पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश को दृष्टीगत रखते उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों व रेकर्ड का अवलोकन किया। जिसमें तथ्य इस प्रकार उभर के आये की वर्ष 1965 मे प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 30(बी) मे परिवार के संबंध मे दी गई परिभाषा के अनुसार दिनांक 1.4.1966 को गैरसायल मृतक शंकरलाल के कायम मुकाम बंकटलाल व कानाराम एवं मृतक शंकरलाल की मृतक पत्नि धेवरीबाई होते है। इस प्रकार परिवार मे कुल 4 सदस्य ही थे, जो की सीलिंग सीमा निर्धारण में 5 सदस्यों तक एक यूनिट ही मानी जाती हैं। अतः गैरसायल का परिवार एक इकाई होने से सीलिंग कानून अनुसार 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही धारण कर सकता हैं।

11. राजस्व रेकर्ड की प्रतिलिपियां पत्रावली पर उपलब्ध है खतौनी बन्दोबस्त की एवं अन्य जमाबंदिया मृतक अप्रार्थी शंकरलाल के पिता भभूत वल्द अमरा के नाम की है किन्तु कॉलम संख्या 1 में म्यूटेशन के आधार पर शंकर के नाम दर्ज है। रेकर्ड के अवलोकन से भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बनती है–

- खाता संख्या 238

खसरा नंबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
2	1.18	चाही	1/3	गैरसायल के हिस्से में आयी भूमि कुल भूमि 5 बीघा 15 बिस्वा में से 1 बीघा 03 बिस्वा चाही भूमि
3	2.17	चाही	1/3	
12	1.00	चाही	1/3	

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

- इसी प्रकार खाता संख्या 283

खसरा नंबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
7	1.01	चाही	1/3	गैरसायल के हिस्से में आयी भूमि कुल भूमि 6 बीघा 14 बिस्वा में से 2 बीघा 05 बिस्वा चाही भूमि
10	4.01	चाही	1/3	
11	1.12	चाही	1/3	

- इसी प्रकार खाता संख्या 285

खसरा नंबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
4	3.04	चाही	1/3	गैरसायल के हिस्से में आयी भूमि कुल भूमि 6 बीघा 04 बिस्वा में से 2 बीघा 01 बिस्वा चाही भूमि
5	1.03	चाही	1/3	
8	0.07	चाही	1/3	
23	1.10	चाही	1/3	

- इसी प्रकार खाता संख्या 288

खसरा नंबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
13	1.16	चाही	1/3	गैरसायल के हिस्से में आयी भूमि कुल भूमि 17 बीघा 02 बिस्वा में से 5 बीघा 14 बिस्वा चाही भूमि
14	0.19	चाही	1/3	
15	1.13	चाही	1/3	
16	3.07	चाही	1/3	
19	6.02	चाही	1/3	
20	1.16	चाही	1/3	
22	0.15	चाही	1/3	
6	0.06	चाही	1/3	
9	0.08	चाही	1/3	

अति जिला कलक्टर (सीकिंग)
पाली (राज.)

- इसी प्रकार खाता संख्या 287

खसरा नबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
134	17.09	चाही	पूर्ण	सम्पूर्ण भूमि 12 बीघा 07 बिस्वा बारानी तथा 51 बीघा 05 बिस्वा चाही भूमि गैरसायल की।
135	19.19	चाही	पूर्ण	
136	5.00	चाही	पूर्ण	
137	0.16	चाही	पूर्ण	
138	3.01	चाही	पूर्ण	
140	4.13	चाही	पूर्ण	
190	5.04	बारानी	पूर्ण	
191	2.12	बारानी	पूर्ण	
192	2.07	बारानी	पूर्ण	
194	2.04	बारानी	पूर्ण	
134 / 1	0.04	चाही	पूर्ण	
139	0.05	चाही	पूर्ण	

- इसी प्रकार खाता संख्या 289

खसरा नबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
1	2.08	चाही	पूरा	सम्पूर्ण भूमि 60 बीघा 07 बिस्वा बारानी तथा 26 बीघा 07 बिस्वा चाही भूमि गैरसायल की।
37	9.16	चाही	पूरा	
1017 / 2	13.09	चाही	पूरा	
1513	25.13	बारानी	पूरा	
1552	1.13	बारानी	पूरा	
1553	3.03	बारानी	पूरा	
1554	6.10	बारानी	पूरा	
1555	3.17	बारानी	पूरा	
1556	7.12	बारानी	पूरा	
193	0.10	चाही	पूरा	
1554 / 1	0.04	चाही	पूरा	

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

- इसी प्रकार खाता संख्या 290

खसरा नंबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
1280	6.12	बारानी	1/3	गैरसायल के हिस्से में आयी भूमि कुल भूमि 6 बीघा 15 बिस्वा बारानी भूमि में से 2 बीघा 05 बिस्वा बारानी भूमि तथा 40 बीघा 17 बिस्वा चाही भूमि में से 13 बीघा 12 बिस्वा चाही भूमि
1280/2	0.03	बारानी	1/3	
34	20.14	चाही	1/3	
35	18.16	चाही	1/3	
142	1.01	चाही	1/3	
36	0.06	चाही	1/3	

- इसी प्रकार खाता संख्या 282

खसरा नंबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
98	1.06	चाही	पूरा	सम्पूर्ण भूमि 16 बीघा 13 बिस्वा बारानी तथा 14 बीघा 18 बिस्वा चाही भूमि गैरसायल की।
97	13.07	चाही	पूरा	
95	8.01	बारानी	पूरा	
832	6.13	बारानी	पूरा	
1064	1.19	बारानी	पूरा	
95/1	0.05	चाही	पूरा	

- इसी प्रकार खाता संख्या 341

खसरा नंबर 703 कुल रकबा 153 बीघा 06 बिस्वा बारानी भूमि में से 5/48 वां भाग अर्थात 15 बीघा 19 बिस्वा बारानी भूमि गैरसायल के हिस्से मे आयी।

- इसी प्रकार खाता संख्या 299

खसरा नंबर	रकबा (बीघा बिस्वा)	किस्म	हिस्सा	
1374	1.13	चाही	पूरा	सम्पूर्ण भूमि 16 बीघा 03 बिस्वा बारानी तथा 14 बीघा 08 बिस्वा चाही भूमि गैरसायल की।
1375	12.15	चाही	पूरा	
1372	16.03	बारानी	पूरा	

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

• इसी प्रकार खाता संख्या 182 –
खसरा नंबर 916 कुल रकबा 34 बीघा 05 बिस्वा बारानी भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा गैरसायल का हैं।

12. इस प्रकार मृतक गैरसायल शंकरलाल प्रथम वर्ग के गांव के होने से उनके द्वारा धारित भूमि की गणना पुराना सीलिंग कानून के तहत निम्न प्रकार से बनती है:–

भूमि किस्म	रकबा बीघा बिस्वा	साधारण एकड़	स्टैण्डर्ड एकड़	वर्गीकरण टेबल की कॉलम संख्या
चाही	131.13	52.66	25.90	5
बारानी	157.18	63.16	26.31	7
कुल	289.11	115.82	52.21	

13. अतः गैरसायल दिनांक 1.04.1966 को 52.21 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि धारित करते थे। गैरसायल के परिवार में 01.04.1966 को 4 सदस्य थे, जो की सीलिंग सीमा निर्धारण मे 5 सदस्य तक एक यूनिट ही मानी जाति हैं। अतः पुराना सीलिंग कानून अनुसार गैरसायल एक इकाई होने से 30 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि धारण करने के अधिकारी हैं। शेष 52.21–30 = 22.21 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि यानी 167 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो की सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण योग्य मानी जाती हैं।

14. अतः उक्त सीलिंग प्रकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की मृतक गैरसायल के पास दिनांक 1.4.1966 को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण 22.21 स्टेण्डर्ड एकड यानी 167 बीघा 12 बिस्वा भूमि अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सोजत गैरसायल से 15 दिवस में विकल्प प्राप्त करे। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार सर्वप्रथम भाररहित भूमि अधिग्रहण करे। अगर इस कानून के तहत पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो राजस्व रेकर्ड से सत्यापन के पश्चात उसका समायोजन किया जावें। इसके पश्चात अधिग्रहण से भूमि शेष रहती हैं तो अन्तरित क्रम में क्रेताओं से भूमि अधिग्रहण की जावे। तहसीलदार सोजत भूमि अधिग्रहित कर एक माह में पालना रिपोर्ट न्यायालय को पेश करे।

15. आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली तथा उपखण्ड अधिकारी, सोजत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

आदेश आज दिनांक 29/09/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)